राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा. स्कूल.शि.प. / जय / क्वालिटी / 2018–19 / 6262 दिनांक : 11/9/18

प्रधानाचार्य

डाईट, समस्त जिले।

विषय :– आंगनबाडी कार्यकर्ता–मेंटर टीचर प्रशिक्षण हेतु SRG (State Resource Group Members) उपलब्ध कराने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017–18 में समस्त राजकीय विद्यालयों के 500 मीटर की परिधि में स्थित आंगनबाडी केन्द्रों को भौतिक तथा प्रशासनिक रूप से विद्यालयों के साथ समन्वित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा AWP&B 2018–19 में ईसीसीई कार्यक्रम के अन्तर्गत मेंटर टीचर–आंगनबाडी कार्यकताओं के प्रशिक्षण करवाये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

मेंटर टीचर–आंगनबाडी कार्यकताओं के प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु केआरपी मॉड्यूल का निर्माण किया गया। समग्र शिक्षा अभियान, महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ, प्रारभं फॉउण्डेशन, अम्बेडकर यूनिर्वसिटी, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों के द्वारा मॉड्यूल निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया गया।

इस क्रम में तैयार किये गये केआरपी मॉड्यूल अनुसार सितम्बर माह में एसआरजी तैयार करने हेतु एक कार्यशाला यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर में आयोजित की जायेगी। **इस हेतु आप अपने संस्थान से किसी एक Faculty को एसआरजी हेतु नामित कर सम्बंधित सूचना निम्न प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–**

क्र.सं.	जिला	नाम	पद	मोबाईल नं.	महिला/पुरूष

आंगनबाडी कार्यकर्ता–मेंटर टीचर प्रशिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है अतः उक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए चाही गई सूचना गुणवत्ता प्रकोष्ठ की ई–मेल आई.डी rajssaquality@gmail.com पर दिनांक 14.09.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

11/9/18
(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक–गुणवत्ता

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्. जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्. जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्. जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भ फाउण्डेशन, एनजीओ, जयपुर को लेख है कि आपकी संस्था के एसआरजी की सूचना उपरोक्त प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. विशेषाधिकारी– शिक्षा, यूनिसेफ, जयपुर।
6. प्रतिनिधि, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, सेव द चिल्ड्रन, जयपुर को लेख है कि आपकी संस्था के एसआरजी की सूचना उपरोक्त प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय प्रति।

11/9/18
उपनिदेशक–गुणवत्ता

www.rajteachers.com